कार्यालय महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक, मध्यप्रदेश

क्रमांक 2322/तकनीकी/2004 भोपाल, दिनांक 14.07.2004

प्रति,

समस्त जिला पंजीयक,
समस्त उप पंजीयक,
मध्यप्रदेश

विषयः– मुख्तारनामा (power of attarney) दस्तावेजों के पंजीयन के संबंध में।

प्रदेश में पिछले दिनों कुछ ऐसे प्रकरण प्रकाश में आये है, जिनमें ऐसे मुख्तारनामों के आधार पर दस्तावेजों का पंजीयन कर दिया गया है, जो वास्तव में फर्जी थे। कुछ प्रकरणों में पुलिस द्वारा उप पंजीयकों को सह अभियुक्त बनाकर उनके विरूद्ध अभियोजन की कार्यवाही भी की गई है। फर्जी मुख्तारनामों के आधार पर दस्तावेजों में पंजीयन की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने के प्रयोजन से निम्नानुसार निर्देश जारी किए जाते हैं।

1. रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 की धारा 32–क में दिनांक 24.09.2001 से निम्नानुसार प्रावधानित किया गया हैः–

''परंतु जहां ऐसा दस्तावेज स्थावर संपत्ति के प्रत्येक क्रेता एवं विक्रेता के पासपोर्ट आकार का फोटो चित्र और अंगुली छाप भी दस्तावेज पर लगाया जायेगा।''

उक्त परिप्रेक्ष्य में ऐसे मुख्तारनामा दस्तावेज जिनके द्वारा अचल संपत्ति के अंतरण का अधिकार प्रदान किया जाता है, उन पर मालिक (principal) एवं अभिकर्ता (Agent) दोनों के फोटो अनिवार्य रूप से लगवाया जाना कानूनी बाध्श्यता है, क्योंकि ऐसे मुख्तारनामों से वास्तव में पक्षकार सम्पत्ति का अंतरण ही करते हैं। अतः अचल सम्पत्ति के अंतरण का अधिकार प्रदान करने वाले मुख्तारनामों पर मालिक (princpal), एवं अभिकर्ता (Agent) का फोटो उसी प्रकार लगवाया जाये जिस प्रकार विक्रय पत्र में क्रेता एवं विक्रेता का लगवाया जाता है।

2. फर्जी मुख्तारनामों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से यह भी सुनिश्चित किया जाये कि जब अचल संपत्ति के अंतरण दस्तावेज को मुख्तार द्वारा निष्पादित कर पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया जाता है, तो उस पर क्रेता या विक्रेता के फोटो के साथ–साथ मुख्तार का फोटो भी चस्पा किया जाये।

कृपया उक्त निर्देशों का तत्काल प्रभाव से पालन सुनिश्चित करें।

महानिरीक्षक पंजीयन,
मध्यप्रदेश।